भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1762

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

नई रोशनी योजना

1762. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई रोशनी योजना (एनआरएस) ने नेतृत्व प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से अब तक देशभर में इसके अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें गुजरात की लाभार्थियों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) वर्तमान में गुजरात के कितने जिले इस योजना के अंतर्गत कवर हैं तथा क्या इस कार्यक्रम का विस्तार ऐसे जिलों, जो अभी तक कवर नहीं हैं अथवा आकांक्षी जिले हैं, तक करने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में इस योजना का महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता और आजीविका सृजन से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किस सीमा तक किया गया है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): नई रोशनी योजना का उद्देश्य महिला अधिकारों तथा 'नेतृत्व विकास' के लिए किए गए उपायों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त एवं आत्मविश्वासी बनाना था। प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के विधिक अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन के लिए पक्ष-समर्थन से संबंधित विषय शामिल थे। वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई नई रोशनी योजना के अंतर्गत, योजना के प्रारंभ से अब तक पूरे देश में लगभग 4.35 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें गुजरात की लगभग 3,900 महिलाएँ भी शामिल हैं। तथापि, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का जिला-वार विवरण अनुरक्षित नहीं किया जाता है। नई रोशनी योजना को मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती कौशल विकास एवं सशक्तीकरण योजनाओं के एकीकरण से गठित प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना में समाहित कर दिया गया है तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह एकीकृत योजना समुदाय-स्तर की महत्वाकांक्षाओं एवं चुनौतियों पर विशेष बल देते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने तथा प्रासंगिक आधुनिक कौशलों का अनुभव प्रदान कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। पीएम विकास योजना का नेतृत्व एवं उद्यमिता उप-घटक अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है, ताकि उन्हें सतत आर्थिक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा उद्यम/स्व-रोजगार उपक्रम स्थापित करने में सहायता मिल सके।
